अति आवश्यक

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
(कम्प्यूटर कक्ष)

पत्रांक–कम्पयूटर– /2017–18/दिनांक लखनऊ 06 जून, 2017

समस्त परियोजनाधिकारी
कृषि भवन, लखनऊ।

कृपया निदेशालय के पत्रांक–कम्प्यूटर–1047 दिनांक 30.05.2017 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा कृषि विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं हेतु आनलाइन पंजीकरण, लाभार्थी चयन तथा अनुदान के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) एंव अन्य भुगतानों हेतु जारी शासनादेश सं0–543/12–3–2017–100(61)/12 टी0सी0 दिनांक 26–05–2017 के प्रकिया व दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में दिनांक 31.05.2017 को अपरान्ह 4.30 बजे एक बैठक आहूत की गयी थी।

उक्त सन्दर्भ में अवगत कराना है कि बैठक में अधिकॉश योजनाधिकारयों ने प्रतिभाग किया। मात्र भूमि संरक्षण की योजनाओं से सम्बन्धित कोई अधिकारी बैठक में नहीं आये। सभी अधिकारियों से अपेक्षा की गयी कि वे अपनी योजनाओं से सम्बन्धित कार्य योजना एंव मास्टर डेटा सेवा प्रदाता को उपलब्ध कराते हुये उक्त शासनादेश के अनुरूप अपनी योजना से सम्बन्धित समस्त भुगतान पारदर्शी किसान सेवा योजना के पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित करायें। बैठक के पश्चात कई योजनाधिकारियों ने अपनी कार्ययोजना तो उपलब्ध करा दी है किन्तु मास्टर डेटा जिसमें वस्तु की दरें, अनुदान की दरें, पात्रता, भुगतान की शर्तें, वित्तीय एंव भौतिक लक्ष्य, लक्ष्य के सापेक्ष वित्तीय एंव भौतिक आवंटन, प्रशिक्षण, प्रदर्शन, गोष्ठी, मेले आदि विभिन्न प्रकार के भुगतानों को कैसे और किस प्रकार साफ्टवेयर में इन्टीग्रेट कराना है, इसकी जानकारी सेवा प्रदाता को नहीं दी है। फलस्वरूप पारदर्शी किसान सेवा योजना के साफ्टवेयर को अन्तिम रूप नहीं दिया जा पा रहा है, जो उचित नहीं है।

अतः आप सबसे पुनः अनुरोध है कि कृपया अधिकतम तीन दिन के अन्दर अपनी योजना से सम्बन्धित साफ्टवेयर का विकास सेवा प्रदाता के माध्यम से सुनिश्चित करायें। इस हेतु अपने नियंत्रणाधीन किसी भी भिज्ञ अधिकारी को नामित कर दें कि वह साफ्टवेयर का

विकास अपनी देखरेख में सुनिश्चित करावे, ताकि जनपदीय अधिकारियों को योजना के कियान्वयन अथवा किसी भी प्रकार के भुगतान में कठिनाई न हो।

यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश दिनांक 26–05–2017 निर्गत होने के पश्चात अब आपके नियंत्रणाधीन संचालित किसी भी योजना में होने वाले समस्त भुगतान सीधे लाभार्थी के खाते में पारदर्शी किसान सेवा योजना के पोर्टल के माध्यम से होने चाहिये और इसी पोर्टल पर आपकी योजना की वित्तीय एंव भौतिक प्रगति प्रतिवेदन आनलाइन उपलब्ध हों। यदि कोई अधिकारी इस पोर्टल का उपयोग न कर भुगतान का कोई अन्य तरीका अपनाता है तो उसे पारदर्शिता की नीति के विपरीत मानते हुये कार्यवाही भी की जाय। यह कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

(ज्ञान सिंह)
कृषि निदेशक,उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–कम्पयूटर– 1054 /2017–18/दिनांक उक्त।

प्रतिलपि– निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव(कृषि), उ0प्र0शासन, कृषि अनुभाग–3, सचिवालय, लखनऊ।
2. समस्त आहरण एंव वितरण अधिकारी, कृषि विभाग को इस आशय से वो योजनाओं के समस्त भुगतान पारदर्शी किसान सेवा योजना के पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी/कार्यदायी संस्था के बैंक खाते में ही सीधे करना सुनिश्चित करें। अपने कर्मचारियों /अधिकारियों के Paid by me के बिल/वाउचर का भुगतान योजनाओं में कदापि न किया जाय।

(ज्ञान सिंह)
कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।